सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

(दिनांक 26 जुलाई, 2007)

द्वितीय विधान सभा के बारहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस सत्र की कुल अवधि 11 दिन एवं 9 बैठकें निर्धारित थी किन्तु माननीय सदन के नेता के प्रस्ताव एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में सत्रावधि में दिनांक 26 जुलाई तक की वृद्धि करते हुए पुनरीक्षित रूप में 10 बैठकें निर्धारित की गई ।

यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि इस दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन की भी प्रक्रिया पूरी हुई । प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए भी आप सभी को धन्यवाद । इस निर्वाचन में आप सभी के संयमित, अनुशासित अपेक्षा अनुरूप व्यवहार के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं ।

इस दस दिवसीय सत्र में सभा ने वित्तीय कार्यों के साथ–साथ महत्वपूर्ण विधिक कार्य भी सम्पन्न किया और प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तथा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों को सभा में उठाया और सभा के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की ।

इस सत्र में सदन में दो नये माननीय सदस्य सर्वश्री निर्मल सिन्हा एवं श्री कोमल जंघेल सदन में निर्वाचित होकर प्रथम बार बाये । सदन की कार्यवाही में दोनों ही माननीय सदस्यों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूॅ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूॅ ।

सभा की 10 बैठकों में से प्रथम दिन पूर्व प्रधान मंत्री एवं सांसद श्री चन्द्रशेखर, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य श्री विश्वराज सिंह एवं श्री हीरालाल वर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये । सभा द्वारा दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और सभा की कार्यवाही दिवंगतों के सम्मान में स्थगित हुई ।

यह पावस सत्र था और इस सत्र में कार्यों का दबाव ज्यादा रहता है । प्रत्येक सदस्य अपनी समस्याओं को रखने का आग्रह करता है । मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश समस्याओं पर सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप यथा संभव सदन में सार्थक चर्चा हुई । जहॉ तक सदन में विपक्ष के माननीय सदस्यों के दायित्व का सवाल है तो मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूॅ कि उन्होंने सशक्त जागृत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है । प्रत्येक विषय जो छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा एवं जन–कल्याण से संबंध रखता है, को सदन में उनके द्वारा रखा गया । समसामयिक अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागृत होने का प्रमाण है । चाहे प्रदेश में धान खरीदी का विषय हो या प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता हो या फिर राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता और उसके वितरण से संबंधित विषय अथवा औद्योगिकरण एवं पर्यावरण का विषय हो, प्रत्येक समसामयिक महत्व के विषय पर आवश्यक अपेक्षित चर्चा हुई है इसे मैं सदन की उपलब्धि समझता हूॅ और विपक्ष के माननीय सदस्यों को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूॅ ।

पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिये हैं, लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए पक्ष–विपक्ष के मध्य एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सदन में पक्ष–विपक्ष के मध्य श्रेष्ठ समन्वय विद्यमान है । इस सत्र में संसदीय लोकतंत्र की पवित्र भावना को आत्मसात करते हुए सदन ने अनेकों अवसर पर पक्ष–प्रतिपक्ष के आदर्श स्वरूप को सदन में स्थापित किया । जहॉ

माननीय सदस्यों के अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुए वहीं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये शासकीय संकल्प को भी सर्वसम्मति से सदन ने पारित किया । छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा ने संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के अनुपालन की दिशा में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, निःसंदेह आने वाले समय में वे प्रेरणा के स्रोत साबित होंगे । इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं ।

वर्तमान सत्र में दिनांक 19 जुलाई को वह अवसर भी आया जब प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने ही द्वारा निर्धारित नियम की उपेक्षा करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया और स्वमेव निलम्बित हुये । उत्तेजना के क्षणों में कभी–कभी ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब जानते हुए भी हमसे त्रुटि होती है किन्तु ऐसी त्रुटियों से भविष्य के लिये यदि हम कुछ प्रेरणा लें तो ऐसी त्रुटियॉ भी संसदीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । मेरा सदस्यों से यह आग्रह है कि वे यह प्रयास करें कि अति उत्तेजना के क्षणों में भी हम अपने बनाये हुये नियमों का अक्षरशः पालन करें और सभा की कार्यवाही को उसी स्वरूप में चलाये, जिस स्वरूप में चलाने के लिये हमने स्वयं अपने नियमों की रचना की है और उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया है ।

मैं इस अवसर पर यह अवश्य उल्लेख करना चाहता हूॅ कि यह सभा चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर एवं जनहित के कार्यों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराती है । यह सभा अपने दायित्वों का निर्वहन तभी कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकती है, जब ऐसी चर्चा नियमों के अंतर्गत और इस सभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की भावना के साथ में सम्पन्न हो । क्षणिक आवेश में हम न केवल स्वयं अपनी गरिमा को कम करते हैं अपितु अपरोक्ष रूप से इस सभा की गरिमा को भी आघात पहुॅचाते हैं । द्वितीय विधान सभा के विगत 11 सत्रों में माननीय सदस्यों ने विचारों की अभिव्यक्ति के इस सर्वोच्च मंच की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की महति जिम्मेदारी धैर्य एवं गंभीरता के साथ निभायी है। शेष बची हुई अवधि में यदि हम सब इस सभा की गरिमा को यथावत् बनाये रखेंगे तो द्वितीय विधान सभा का यह कार्यकाल निश्चित तौर पर यादगार रहेगा ।

वर्तमान सत्र में लगभग प्रतिदिन माननीय सदस्यों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान खरीदी का मामला उठाया गया और सदस्य सभा की समिति से सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच के लिये मॉग करते रहे । फलस्वरूप सभा की कार्यवाही के संचालन में भी यदा–कदा अवरोध उत्पन्न हुआ । सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा उपरांत इस प्रकरण को सभा में आये सम्पूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जॉच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया गया ।

सत्र के दौरान हुई एक दुखद घटना का भी मैं यहॉ उल्लेख करना चाहूॅगा। छत्तीसगढ़ राज्य के हेलीकॉप्टर के चालक दल के चार सदस्यों की हेलीकॉप्टर के भोपाल से रायपुर आते समय दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई, इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुये सभा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की । मैं इस अवसर पर पुनः मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूॅ ।

इस अवसर पर सदन को मैं अवगत कराना चाहूॅगा कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा की विभिन्न संसदीय समितियों ने अब तक गंभीरतापूर्वक परिणामपरक कार्य कर सभी को प्रभावित किया है । इस सत्र में विभिन्न समितियों के 13 प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये । इसका श्रेय सदन की समितियों के सभापति और सदस्यों को जाता है। आप सबकी सजगता और लोक उत्थान, लोकहित के प्रति वचनबद्धता निःसंदेह प्रशंसनीय है । आपसे मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र को और अधिक सजग और सक्षम बनाने के लिए आप अपनी भूमिका में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करें।

द्वितीय विधान सभा में विभिन्न अवसरों पर पक्ष एवं प्रतिपक्ष में आपसी सामंजस्य एवं प्रदेश हित की भावना को सर्वोच्च स्थान देते हुये सर्वसम्मति से सभा का कार्य सम्पादित किया है । नक्सलवाद की समस्या राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरे के रूप में हमारे सबके समक्ष उत्पन्न हुई । इस समस्या के उचित समाधान के लिये अनेक अवसरों पर विभिन्न माध्यमों से सभा में चर्चा हुई और सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । नक्सलवाद से उत्पन्न परिस्थितियों और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के सम्भावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुये सभा में सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत सामान्य चर्चा से भिन्न गोपनीय चर्चा के माननीय सदन के नेता के प्रस्ताव एवं प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से नियमों के अंतर्गत गोपनीय बैठक रखने का निर्णय लेते हुये इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के 80 से अधिक सदस्यों ने राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपने राज्य की इस गंभीर समस्या से जुड़े प्रत्येक पहलू पर स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा की । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सर्वमतेन इस समस्या के हल के परिणाम तक पहुॅचेंगे।

इस सत्र में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 179 छात्र–छात्राओं ने सदन की कार्यवाही को देखा और संसदीय परम्परा और प्रक्रियाओं को समझा । लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र–छात्राओं को संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं से जोड़ने का छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह प्रयास अनवरत जारी है ।

इस सत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक संगठनों के लगभग 135 प्रतिनिधियों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । ऐसा प्रथम अवसर हुआ कि ज्येष्ठ नागरिक (सीनियर सिटिजन) के 56 सदस्यों को विशेष रूप से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु ससम्मान आमंत्रित किया गया । मेरा मानना है कि अतीत के अनुभव से हम अपना वर्तमान और भविष्य संवार सकते हैं।

इस पावस सत्र में सदन के सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहॅूगा । इस सत्र के कुल 10 कार्य दिवसों में कुल 45 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा हुई और सभा ने प्रथम अनुपूरक अनुमान स्वीकृत किया । इस सत्र में 871 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई, इनमें ग्राह्य प्रश्नों की संख्या 430 रही, 75 प्रश्नों पर सभा में चर्चा हुई । सत्र में मौखिक प्रश्नों की औसत 08 प्रश्नों का रहा । जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 2 सूचनायें ग्राह्य हुई । सत्र में 7 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 5 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिए सदन में रखे गये, उनमें से 3 संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए व 2 संकल्प सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत वापिस लिये गये । सत्र में एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

आप माननीय सदस्यों ने अपनी तर्कशक्ति से प्रत्येक विषय पर हुई चर्चा को निष्कर्ष तक पहुॅचाया । आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जायेगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में जनभावना व जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्पित हैं । इस सत्र में कुल 81 स्थगन के प्रस्ताव रखे गये जिनमें से ग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 45 रही । अग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 33 रही, 3 प्रस्ताव ध्यानाकर्षण सूचना में परिवर्तित किए गए । सत्र में शून्यकाल की 85 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 52 सूचनायें ग्राह्य व 33 सूचनायें अग्राह्य रही ।

द्वितीय विधान सभा के इस बारहवें सत्र में कुल 341 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 126 सूचनायें ग्राह्य व 168 सूचनायें अग्राह्य रही, 47 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गई । इस सत्र में कुल 9 विधेयक लाये गये और 9 विधेयक पारित हुये । इस सत्र में 17 याचिकायें भी सदन पटल पर रखी गई ।

माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से उद्भूत विषयों पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आधे घण्टे की चर्चा की 4 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 3 सूचनायें ग्राह्य हुई और सभा में 2 सूचनाओं पर चर्चा हुई ।

सत्र में शासन की ओर से 8 प्रतिवेदन, 6 अधिसूचनायें और 3 अध्यादेश भी सभा पटल पर रखे गये ।

आप सभी माननीय सदस्यों को आसंदी से इस सत्र के पूर्ण होने पर धन्यवाद देता हूॅ कि आप सभी ने सदन के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग दिया । इस सत्र के समापन अवसर पर प्रेस एवं मीडिया के संबंध में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अब तक उन्होंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । विधान सभा की संसदीय विषयों से जुड़ी गतिविधियों, सदन की चर्चाओं की बेहतर जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व का भार उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है । मैं कहना चाहता हूॅ कि लोकतंत्र के प्रभावी और सुचारू कार्यकरण के लिए नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए विधायिका और मीडिया के समन्वित संकल्प की आवश्यकता है । मैं आशा करता हूॅ हमारे पत्रकार साथी इस बात से सहमत होंगे ।

अंत में इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूॅ कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूॅ, उन्होंने सामान्यतः संसदीय मार्यादाओं की परिधि में रहकर अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर सदन के संचालन में जो मुझे सहयोग दिया है वह उल्लेखनीय है । इस अवसर पर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूॅ।

सत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूॅ कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूॅ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूॅ कि उनके समन्वित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह परम्परा रही है कि सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथि की घोषणा की जाती है । तद्नुसार आगामी सत्र जो द्वितीय विधान सभा का त्रयोदश सत्र होगा, 03 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2007 की अवधि में सम्भावित है ।

सत्र समापन के अवसर पर मैं आप सभी से पुनः आव्हान करता हूॅ कि आइये छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने का दृढ संकल्प लें।

जय छत्तीसगढ़ ।

धन्यवाद ।